न्यायालय सहायक कलेक्टर रानीवाडा जिला सांचौर

पीठासीन अधिकारी श्री भागीरथ राम, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 42/2016

वादी

1. जामाराम पुत्र राजाजी कौम कलबी निवासी चिमनगढ तहसील रानीवाडा जिला सांचौर

प्रतिवादीगण

1. हरजीराम वल्द हीराराम कौम कलबी साकिन चिमनगढ
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसील रानीवाडा जिला सांचौर

अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :—

1. वादीगण अधिवक्ता श्री ललित खत्री उपस्थित।
2. प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता श्री मोहनलाल विश्नोई उपस्थित।

—: निर्णय :—

दिनांक 08.02.2024

1. वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत राजस्व वाद प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्य संक्षेप में वाद के अनुसार इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादीगण के सामलाती का खातेदारी खेत खसरा नबंर 279 रकबा 1.00 हैक्टर 280 रकबा 0.34 हैक्टर जुमले रकबा 1.34 हैक्टर चिमनगढ तहसील रानीवाडा आया हुआ है, जिस में वादी का 1/2 हिस्सा है, शेष भुमि प्रतिवादी संख्या 1 की है, उक्त आराजी वक्त प्रथम सेटलमेन्ट से पुर्व से वाला वल्द चांदाजी व वादी जामाराम के बहिस्सा बराबर दर्ज थी वालाराम के 1/2 हिस्सा कि आराजी जरिये उत्तराधिकार व हस्तान्तरण के प्रतिवादीगण के खातेदारी में दर्ज की गयी है। उक्त आराजी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की सामलाती काश्तकारी की दर्ज व अपने—अपने हिस्से के अनुसार सामलाती काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। अभी जमीन के भाव बढ गये जिससे प्रतिवादी संख्या 1 उक्त संपुर्ण आराजी को हडप करना चाहता है इसलिए वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने कि धमकी देता है। उक्त आराजी का बंटवाडा नहीं होने से उसके विकास करने एवं ऋण आदी लेने में कठिनाई होती है जिससे आराजी का विधिवत बंटवाडा किया जाना आवश्यक है अतः बंटवाडा का दावा पेश है। बंटवाडा प्रतिवादी वादी के कब्जे काश्त में दरवल आराजी नहीं करे इसके लिए वादी व प्रतिवादी के खिलाफ स्थाई प्राप्त करने का अधिकार है।
2. विनायदावा सर्वप्रथम वक्त प्रथम सेटलमेन्ट पैदा हुआ जबा आराजी वादी व स्वर्गीय वाला वल्द चांदाजी के नाम दर्ज कर दी गयी उसके बाद अभी चन्द रोज पुर्व पैदा हुआ जब प्रतिवादीगण व वादी के कब्जा काश्त में दरवल आराजी करने की धमकी दी जो बिनायदावा लगातार है।
3. इस्तदुआ वादी निम्न है कि उक्त आराजी खसरा नबंर 279 रकबा 1.00 हैक्टर 280 रकबा 0.34 हैक्टर जुमले रकबा 1.34 हैक्टर [illegible] मौजा चिमनगढ तहसील रानीवाडा का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा किया जावे वादी व प्रतिवादी के हिस्से अलग दर्ज किये जावे व भुमि का [illegible] अलग—अलग [illegible] किया जावे। तथा स्थाई निषेधाज्ञा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.02.19 18:14:27 IST
Reason: SelfAttested

बहक वादी बरखिलाफ प्रतिवादीगण के इस अमर की जारी की जावे कि वादी के कब्जे काश्त में दखल न करे नहीं करावे।

4. वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को समन जारी किये गए। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया। जिनके वादी के तथ्यों को अस्वीकारते हुए बताया कि मौजा चिमनगढ तहसील रानीवाडा के खसरा नबंर 279 रकबा 1.00 हैक्टर व खसरा नबंर 280 रकबा 0.34 हैक्टर का मौके पर कब्जे काश्त अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के बीच बंटवाडा कर जवाब दावा के साथ पेश नजरी नक्शा परिशिष्ट 'जेड' में दर्शित लाल स्याही वादी आराजी प्रतिवादी संख्या 1 को अलग बंट में दी जावे तथा अन्य आराजी वादी को अलग बंट में दी जावे तथा इसी माफिक राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद व लगान के निर्धारण हेतु तहसीलदार रानीवाडा को तहरीर जारी की जावे। इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि बाद बंटवाडा उक्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 के बंट की आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में वादी न तो स्वयं कोई दखल या बाधा पैदा करे तथा न ही किसी अन्य से कोई बाधा या दखल पैदा करावे।

5. प्रतिवादी संख्या 1 के जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम का वादी द्वारा जवाब बुल जवाब दिया गया। वादी के वाद, प्रतिवादी संख्या 1 के जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम, वादी के जवाब उल जवाब व पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों के आधार पर तनकीयात कायम की जाकर एक्सप्लेन की गई। वादी वकील द्वारा वादी जामाराम व लखमाराम की साक्ष्य शपथ पत्र पेश कर साक्ष्य करवाई गई। प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य नहीं करवाई गई।

6. दिनांक 18.03.2021 को न्यायालय द्वारा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता के निवेदन पर खातेदारो के हक हिस्से अनुसार मौजा चिमनगढ की विवादीत आराजी में खसरा नम्बर क्रमश 279, 280 रकबा क्रमश 1.00, 0.34 हेक्टेयर जूमले रकबा 1.34 हैक्टेयर के मीट्स एण्ड बाउण्ड के जरिये बंटवाडा प्रस्ताव के प्राथमिक डिक्री के आदेश तहसीलदार रानीवाडा को किये गये। तहसीलदार रानीवाडा को पत्रांक/कोर्ट/2021/343 दिनांक 23.03.2021 के द्वारा तहसीलदार रानीवाडा से प्राथमिक डिक्री की पालना मंगवाई गई। तहसीलदार रानीवाडा द्वारा कब्जा काश्त अनुसार बंटवाडा प्रस्तावित कर पत्रांक/राजस्व/2023/03 दिनांक 03.01.2023 से इस न्यायालय को प्रस्तुत किये है।

7. तहसीलदार रानीवाडा द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन प्रस्ताव पर उपस्थित पक्षकारन को पढकर सुनाया गया। उभयपक्ष अधिवक्ताओं को सुना गया। पत्रावली व संलग्न दस्तावेज व तहसीलदार रानीवाडा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव का भली–भांती अध्ययन किया गया। तहसीलदार रानीवाडा से प्राप्त प्राथमिक डिक्री अनुसार बंटवाडा किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः तहसीलदार रानीवाडा द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के बीच बंटवाडा की अंतिम डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है–

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.02.19 18:14:27 IST
Reason: SelfAttested

क्र.स	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टे0 में	बंटवाडे में आया रकबा हैक्ट0 में	किस्म	नक्शा ट्रेश में अंकित रंग कलर)	लगान राशि
1.	जामा पुत्र राजा जाति कलबी सा0 देह खातेदार	279	1.00	0.67	बा. दो.	भूरा	2.01
2.	हरजीराम पुत्र हीराराम जाति कलबी सा0देह खातेदार रहन एबीबीजे बैक शाखा रानीवाडा	279	1.00	0.33	बा. दो.	गुलाबी	0.99
		280	0.34	0.34	बा.दो.		1.02

8. उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के बीच पृथक–पृथक खाते खोलकर एवं मोमीयॉ नक्शा में तरमीम कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार रानीवाडा को आदेशित किया जाता है। उक्त बंटवाडा अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के हक में प्राप्त आराजी के संबंध में एक दुसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलदाजी न करे न किसी अन्य से करावें इस आश्य की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है।

पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जावे।

(भागीरथ राम)
सहायक कलेक्टर
रानीवाडा जिला–सांचौर

निर्णय आज दिनांक 08.02.2024 से सरे इजलाज सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला– सांचौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.02.19 18:14:27 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल्स 6–7, जाब्ता दीवानी)

(civil procedure code, Appendix “D”-1)

अज अदालत सहायक कलेक्टर रानीवाडा जिला सांचौर

पीठासीन अधिकारी श्री भागीरथ राम आर.ए.एस.

वादी		प्रतिवादी
जामाराम पुत्र राजाजी कौम कलबी निवासी चिमनगढ तहसील रीनवाडा जिला सांचौर	**बनाम**	1. हरजीराम वल्द हीराराम कौम कलबी साकिन चिमनगढ 2. राजस्थान राज्य जरिये तहसील रानीवाडा जिला सांचौर

अन्तर्गत धारा 53 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 42/2016

यह मुकदमा आज इनफिसाल कत्तई रूबरू पक्षकारान व हाजरी वादी की ओर से वकील श्री ललित खत्री व प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से वकील श्री मोहनलाल विश्नोई उपस्थित। मनजानिव मुद्रायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि तहसीलदार रानीवाड़ा द्वारा उक्त प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के बीच बंटवारा की अंतिम डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

क्र.स	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टे0 में	बंटवाडे में आया रकबा हैक्ट0 में	किस्म	नक्शा ट्रेश में अंकित रंग कलर)	लगान राशि
1.	जामा पुत्र राजा जाति कलबी सा0 देह खातेदार	279	1.00	0.67	बा. दो.	भूरा	2.01
2.	हरजीराम पुत्र हीराराम जाति कलबी सा0देह खातेदार रहन एबीबीजे बैक शाखा रानीवाडा	279	1.00	0.33	बा. दो.	गुलाबी	0.99
		280	0.34	0.34	बा.दो.		1.02

उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के बीच पृथक पृथक खाते खोलकर एवं मोमीयॉ नक्शा में तरमीम कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार रानीवाड़ा को आदेशित किया जाता है। तथा उक्त बंटवारा अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के हक में प्राप्त आराजी के सम्बन्ध में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करे न किसी अन्य से करावें इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जाति है।

बशर्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 08.02.2024 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.02.19 18:14:27 IST
Reason: SelfAttested

(भागीरथ राम)
सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला–सांचौर

मुद्द्ई	रूपया	पैसा	मुद्दयलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	2	00	स्टाम्प वकालतनामा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	जवाबदावा	2	00
स्टाम्प वजह सबूत	0	00	स्टाम्प अर्जी	1	00
महनताना वकील	0	00	महनताना वकील	0	00
खर्चा गवाहान	0	00	खर्चा गवाहान	0	00
फीस कमीष्नर	0	00	फीस कमीश्नर	0	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00
मुतफरिक	0	00	मुतफरिक	0	00
मौजाना	3	00	मौजाना	4	00

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.02.19 18:14:27 IST
Reason: SelfAttested